Chase Reality, Dreams will follow.....

SHRI RAMSWAROOP MEMORIAL UNIVERSITY

Established by UP State Govt. ACT 1 of 2012

Ref. SRMU/RO/CO/2019-20/03

October 01, 2019

Convening Order: University OBC Category Cell
Academic Session (2019-20)

1. The constitution for University OBC Category Cell will be as follows:

   (a) Presiding Officer : Prof. U K Singh

   (b) Members : (i) Prof. B. M. Dixit

   (ii) Dr. Dilip Kumar

2. The meeting of this cell for OBC Category will be convened under the chairmanship of Registrar on **October 16, 2019 at 02:00 PM** in the Conference Room, Administrative Block.

3. The agenda of meeting is appended below:

   a) Details of OBC Candidates admitted in the academic session 2019-20.

   b) Verification of their documents as per the Government Gazette Notification.

   c) Publication and submission of documents.

   d) Any other issues brought to the notice of cell.

01/10/2019

Dr. Akankssha Nigam

Dy. Registrar

CC to:

1. Prof. U K Singh, Registrar 01/10
2. Prof. B. M. Dixit
3. Dr. Dilip Kumar 01-10-2019

उत्तर प्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

संख्या-20/2017/902/64-2-2017-1 (छात्रवृत्ति)/2013

लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012, कार्यालय ज्ञाप संख्या-11-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी,2013 द्वारा जारी की गयी है,जो शैक्षिक सत्र-2012-13 से प्रभावी है। उक्त नियमावली के संगत प्राविधानों में प्रथम संशोधन शासनादेश संख्या-61-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013,दिनांक 14 फरवरी,2013, द्वितीय संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/2013,दिनांक 20 नवम्बर,2013, तृतीय संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-492/64-2-2014-1(छात्रवृत्ति)/2013,दिनांक 23 सितम्बर,2014 तथा चतुर्थ संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013,दिनांक 19 अगस्त,2016 द्वारा किया गया है।

2- निदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र संख्या-977/पि0व0क0/2017-18, दिनांक 14 अगस्त,2017 द्वारा योजनान्तर्गत नियमावली के संगत प्राविधानों में कतिपय अन्य आवश्यक संशोधन किये जाने सम्बन्धी उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 जनवरी,2013, शासनादेश दिनांक 14 फरवरी,2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 नवम्बर, 2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 सितम्बर, 2014 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 अगस्त,2016 के संगत प्राविधानों को तात्कालिक

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचम संशोधन) नियमावली, 2017

वर्तमान नियम				प्रतिस्थापित नियम			
1	नाम		यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,2016 कहलायेगी।	1	नाम		यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचम संशोधन)नियमावली,2017 कहलायेगी।
5				5	समूह	(X) (क)	समूह 1, 2, 3, 4 से तात्पर्य निम्नानुसार हैः- <u>समूह 1-</u> से तात्पर्य स्नातक एवं परास्नातक स्तर के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रम से है। <u>समूह 2</u>- से तात्पर्य परास्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है। <u>समूह 3-</u> से तात्पर्य स्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है। समूह 4- से तात्पर्य इण्टर एवं समकक्ष स्तर के समस्त तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है।
5	शुल्क/ फीस	(Xi)	1-''शुल्क'' का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को	5	शुल्क/ फीस	(Xi)	(1) ''शुल्क'' का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/ पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जॉच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।				भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, लाइब्रेरी और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न किए जाने वाला शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो, शामिल होगा। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
			2-जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा रु0 50000/-में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की	5	शुल्क/ फीस	(xi)	2- जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। 2(i) - समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के

http://shasanadesh.up.nic.in

			जायेगी।

		सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रू0 50000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी। 2(ii) - समूह-2 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रू0 30000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी। 2(iii) - समूह-3 व 4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक

http://shasanadesh.up.nic.in

						अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा तकनीकी डिप्लोमा कोर्सों हेतु रू0 20000/- तथा गैर तकनीकी कोर्सों/ 01वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्सों हेतु रू0 10000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।
			3- जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों(स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संबंधित संस्था द्वारा			3- जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संबंधित संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा उपरिलिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की

http://shasanadesh.up.nic.in

			लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा रु0 50000/- में से,जो भी कम हो,की प्रतिपूर्ति की जायेगी।				प्रतिपूर्ति की जायेगी।
			4- प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा रु0 50000/- में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।				4- प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा उपरिलिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
			5-आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की				5- आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कालम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान.रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान.रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि अथवा उपरिलिखित समूहवार निर्धारित

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

			वास्तविक धनराशि अथवा रु0 50000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।			धनराशि में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।
			6- शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति उन्ही शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा सम्बन्धित शिक्षण संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि अथवा रु0 50000/- में से ,जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।			6- शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त व निजी शिक्षण संस्थानों/ निजी विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति उन्ही शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित रेगुलर पाठ्यक्रम की फीस के बराबर प्रदान की जायेगी। यदि संबंधित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम के रूप में संचालित नहीं है तब प्रदेश स्तर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान/ विश्वविद्यालय की श्रेणी के अन्य शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित रेगुलर पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से निर्धारित फीस धनराशि में से सबसे न्यूनतम धनराशि अथवा उपरोक्त वर्णित समूहवार कोर्सों हेतु निर्धारित फीस, में से जो भी कम होगी, प्रदान की जायेगी।
	5 (xii)		क- शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिए अधिकृत राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभागों यथा-तकनीकी शिक्षा,		5 (xii)	(क) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिए अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों यथा-तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

			मेडिकल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिकशिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण संबंधी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 जुलाई तक निदेशक समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर संबंधित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि निर्धारित तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो विगत वर्ष में संबंधित पाठ्यक्रम की सक्षम स्तर से निर्धारित फीस को ही वर्तमान वर्ष की मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।				आदि के प्रमुख सचिव/सचिव/ महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विशेष के लिए शुल्क निर्धारित किया जाता है यदि किसी वर्ष विशेष में आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक प्रशासकीय विभागों द्वारा फीस निर्धारण नहीं की जाती है तो पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित सामान्य फीस अथवा नियम 5(xi) में दी गई व्यवस्थानुसार जो कम हो का भुगतान किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5	शिक्षण संस्थान में अनुमन्य शुल्क के अभिलेखों का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण				शिक्षण संस्थान में अनुमन्य शुल्क के अभिलेखों का एकत्रीकरण व संरक्षीकरण	5 (xii)	तकनीकी प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जिनकी फीस, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति निर्धारित नहीं करती है उन पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के समकक्ष पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
6	अर्हता	(ii)	यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोडकर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायगी :- (क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम । (ख) निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। (ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन (राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। (घ) सैनिक महाविद्यालय देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम । (च) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों		अर्हता	6 (ii)	यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोडकर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायगी :- (क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम । (ख) निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम। (ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन (राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम। (घ) सैनिक महाविद्यालय देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम । (च) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम । (छ) पत्राचार पाठ्यक्रम व सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। (ज) कामर्शियल पायलेट लाइसेंस के पाठ्यक्रम (CPL)।

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			के पाठ्यक्रम । (छ) पत्राचार पाठ्यक्रम व सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम। (ज) कामर्शियल पायलेट लाइसेंस के पाठ्यक्रम (CPL)।				(झ) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग बाडी/ सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंक पत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते।
6	अर्हता	(xvii)	यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रुप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुन: पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।	6	अर्हता	(xvii)	यदि कोई छात्र गत वर्ष छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।
						(xviii)	शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

							शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को भुगतानित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी।
9-	मास्टर डाटा बेस व संस्थाओं का पंजी-करण कोर्स मास्टर	(i)	प्रदेश की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक अनिवार्य नान रिफन्डेबिल शुल्क आदि निर्धारित प्रारुप पर स्वयं आनलाइन भरकर ‘‘मास्टर डाटाबेस’’ में सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेगें एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेगें। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत	9	मास्टर डाटा बेस व संस्थाओं का पंजी-करण कोर्स मास्टर	(i)	प्रदेश की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक अनिवार्य नान रिफन्डेबिल शुल्क आदि निर्धारित प्रारुप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेगें एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेगें। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होगें। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			छात्र/ छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होगें। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर अथवा संस्था के विरूद्ध धनराशि के दुरूपयोग पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से हटाया जायेगा।				अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से हटाया जायेगा। जिसकी सूचना लिखित रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/ निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ii)	उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेगे जिनकों एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 जून तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 जून के पश्चात मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित किया जायेगा।			(ii)	उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 15 जुलाई तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 15 जुलाई के पश्चात् मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		(iii)	मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर स्वयं निर्धारित तिथि तक आनलाइन भरा जायेगा। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में संबंधित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।			(iii)	मास्टर डाटाबेस में प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबिल शुल्क(फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।
11-	छात्र को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति	(i)	छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का		छात्र को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति	(i)	यथावत

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण		एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।		के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण		
		(ii)	सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रो को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराषि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रो को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :-			(ii)	विलोपित
			(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें।				(क) विलोपित
			(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें।				(ख) विलोपित
			(ग) निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/ छात्रायें				(ग) विलोपित

http://shasanadesh.up.nic.in

			जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।				
			(घ) निजी क्षेत्र के ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, परन्तु सक्षम स्तर पर मान्यता प्राप्त है।				(घ) विलोपित
			(च) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत है।				(च) विलोपित
			नोट- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र/ छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम (क) से (च) तक जारी				नोट- विलोपित

http://shasanadesh.up.nic.in

			रहेगा । अर्थात सर्वप्रथम श्रेणी (क) के संस्थान ''केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थाओं'' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सर्वप्रथम श्रेणी (क) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (ख) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त श्रेणी (ख) के संस्थानों ''केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों'' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि श्रेणी (ख) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (ग) के संस्थानों में अध्ययनरत				

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त श्रेणी (ग) ''निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है'' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि श्रेणी (ग) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (घ) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (घ) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, परन्तु सक्षम स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं'' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें				

http://shasanadesh.up.nic.in

			अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें। बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि श्रेणी (घ) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संतृप्त करने के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को धनराशि वितरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के पश्चात् श्रेणी (च) के संस्थान ''निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहाँ संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत है'' में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें तत्पश्चात् उनमें अध्ययनरत नवीन (फ्रेश) छात्र/छात्रायें।				
		11 (ii)	1- प्रत्येक वरीयताक्रम के अन्दर छात्रों का चयन उसके परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यक्रम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान कर निम्नलिखित रीति से			11 (ii)	1- विलोपित

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>किया जायेगा -

(i)- प्रत्येक छात्र को विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर वेटेज अंक प्रदान किये जायेंगे। यदि प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव में आता है तो उसकी गणना दशमलव के दो अंक तक की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि किसी छात्र/ छात्रा द्वारा गत परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर 45 वेटेज अंक दिये जायेंगे।
(ii)-समूहवार पाठ्यक्रम के अंक-
<table><tr><td>क्र0 सं0</td><td>समूहवार पाठ्यक्रम</td><td>वेटेज अंक</td></tr><tr><td>1</td><td>समूह-1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>समूह-2</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>समूह-3</td><td>7</td></tr><tr><td>4</td><td>समूह-4</td><td>10</td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td><td>(i)- विलोपित

(ii)- विलोपित</td></tr>
<tr><td></td><td>11 (ii)</td><td></td><td>2- प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके विगत कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्राप्त वेटेज अंक एवं समूहवार पाठ्यक्रम के</td><td></td><td>11 (ii)</td><td></td><td>2- विलोपित</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			अनुसार प्राप्त वेटेज अंक को जोड़कर संयुक्त वेटेज अंक तैयार किया जायेगा। सबसे अधिक संयुक्त वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा तदोपरान्त घटते हुए क्रम में बजट की उपलब्धता तक वितरण किया जायेगा।				
			3- छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुए क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।				3- विलोपित
			4- इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।				4- विलोपित
			5- छात्र/छात्राओं के वेटेज				5- विलोपित

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

			अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।				
		11 (iii)	1- सर्वप्रथम समस्त वरीयता श्रेणी के शिक्षण संस्थानों (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) में अध्ययनरत कक्षा-11 व 12 तदोपरान्त गुरुप-4 के अवशेष पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/ छात्राओं के नवीनीकरण हेतु पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। 2- तदोपरान्त समस्त वरीयता श्रेणी के शिक्षण संस्थानों (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) में अध्ययनरत् कक्षा-11 व			11 (iii)	1- सर्वप्रथम कक्षा-11 एवं 12 के उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे छात्र जो प्रदेश के शिक्षण संस्थानों (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) में अध्ययनरत हों एवं जिन्होंने गत वर्ष की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत तक अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली हो, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ अनुमन्य होगा। 2- तदोपरान्त कक्षा-11 व 12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे छात्र जो प्रदेश की विभिन्न शिक्षण संस्थानों (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) में अध्ययनरत हों एवं जिन्होंने गत

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			12 तदोपरान्त ग्रुप-4 के अवशेष पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के नवीन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। 3- तत्पश्चात दशमोत्तर कक्षाओं के 11(ii) में वर्णित वरीयताक्रम में अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु नवीनीकरण एवं नवीन (फ्रेश) छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति का वितरण घटते हुए वेटेज अंक के आधार पर बजट की उपलब्धता तक किया जायेगा। 4- सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की				परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की हो, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ अनुमन्य होगा। 3- यदि कक्षा 11-12 के अतिरिक्त अन्य दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में उपरोक्त मानक के आधार पर धनराशि कम पड़ती है तो उपरोक्त बजट की सीमा में यह प्रतिशत 50 प्रतिशत अंक से अधिक हो सकता है और यदि कक्षा 11-12 के अतिरिक्त अन्य दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में उपरोक्त मानक के आधार पर वितरण के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो कक्षा-11 एवं 12 के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु बजट की उपलब्धता तक यह प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम भी हो सकता है। 4- इसी क्रम में शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 एवं 12 के उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं, जिन्होंने गत वर्ष की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली हो, को

http://shasanadesh.up.nic.in

			जायेगी। कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में प्रथम बार छात्रवृत्ति की आनलाइन प्रणाली में आवेदन करने वाले छात्र अगले वर्ष हेतु नवीनीकरण का आवेदन भरने के पात्र होंगे, चाहे छात्र को विगत वर्ष में धनराशि प्राप्त हुई हो या न प्राप्त हुई हो।				शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा। 5- प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान) में कक्षा-11 व 12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अध्ययनरत ऐसे समस्त छात्रों को जिन्होंने गत परीक्षा में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, को शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा। 6- यदि कक्षा 11-12 के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में उपरोक्त मानक के आधार पर धनराशि कम पड़ती है तो उपरोक्त बजट की सीमा में यह प्रतिशत अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के अंक 65 प्रतिशत से अधिक भी हो सकता है और यदि उपरोक्त मानक के आधार पर वितरण के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो यह प्रतिशत बजट की उपलब्धता तक 65 प्रतिशत से कम भी हो सकता है, किन्तु किसी भी दशा में 50 प्रतिशत अंक से कम नहीं होगा।
		नोट -	1-दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, प्राप्तांक/			नोट -	1- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्राप्तांक आयु, अल्फाबेटिक आधार पर प्रथम आगत प्रथम पावत के

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			पाठयक्रम समूह के संयुक्त वेटेज, आयु, अल्फाबेटिक आधार पर प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एकसमान रखा जाय। 2- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण को हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय को 02 प्रतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। 3- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं को अलग-अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार /बैंकवार) के विवरण को हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्टकापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि				आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एकसमान रखा जाय। 2- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर छात्र/छात्राओं को अलग-अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/ बैंकवार) के विवरण को हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्टकापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। (3)अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्राविधानों/ शर्तो को पूर्ण करने वाले पात्र छात्र/छात्राओं को विहित वरीयता श्रेणी नियम-11 के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।				लम्बित रहती है तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी। (4) वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये पुनर्विनियोग के माध्यम से अथवा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधन के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से अतिरिक्त प्राविधान कराया जा सकता है।
							(5) अन्य पिछड़े वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्राविधानों/ शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र छात्र/छात्राओं को विहित वरीयता श्रेणी नियम-11 के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता लम्बित रहती है तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
15-	अनियमितताएं पाये जाने पर FIR दर्ज	(ii)		15-	अनियमितताएं पाये जाने पर FIR दर्ज कराना,	(ii)	10- छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

	कराना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।				छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।		की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/ वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/ विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।
16	संबंधित शिक्षा विभागों का दायित्व	1 (ii)	11- छात्रवृत्ति एवं ल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट http:// scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन लॉक हो जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।	16	संबंधित शिक्षा विभागों का दायित्व	1 (ii)	11- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट http:// scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा डाटा लॉक किये जाने के उपरान्त किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेड़-छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

http://shasanadesh.up.nic.in

		1 (vii)	प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार नम्बर व इनरोलमेंट नम्बर अंकित करना होगा तथा अपने अभिलेखों को डिजीटल लॉकर में रखना होगा। इसके लिये आवेदन करने वाले समस्त छात्रों को अपने समस्त अभिलेखों को स्कैन कराकर निर्धारित प्रक्रियानुसार डिजीटल लॉकर में रखा जायेगा जिससे स्क्रूटनी में उनके आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का मिलान किया जा सके।			1 (vii)	प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार कार्ड नम्बर (वैकल्पिक) व इनरोलमेंट नम्बर अंकित करना होगा तथा अपने अभिलेखों को डिजीटल लॉकर में रखना होगा। इसके लिये आवेदन करने वाले समस्त छात्रों को अपने समस्त अभिलेखों को स्कैन कराकर निर्धारित प्रक्रियानुसार डिजीटल लॉकर में रखा जायेगा जिससे स्क्रूटनी में उनके आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का मिलान किया जा सके।
		3 (X)	बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconcilation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।			3 (X)	बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconcilation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति /आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया जाय।
		5 (vii)	राज्य एन0आई0सी0 स्तर पर उपलब्ध बजट के आधार पर जो बेनीफिशरीज फाइल जिस प्रकार आय, ग्रुप एवं गतपरीक्षा के अंको के आधार पर वेटेज अंक प्रदान करते हुए तैयार की जाए, उसका छात्रवार विवरण छात्रवृत्ति सम्बन्धी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।			5 (vii)	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा विभाग में उपलब्ध बजट के आधार पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की बेनीफिशरी फाइल नियमावली के नियम-5 (Xi) व नियम-11 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार तैयार की जाये तथा उसका छात्रवार विवरण छात्रवृत्ति सम्बन्धी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

21	विशेष प्रकरणों पर विचार करने हेतु समिति के गठन की स्वीकृति			2 1	विशेष प्रकरणों पर विचार करने हेतु समिति के गठन की स्वीकृति		मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/मा0राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण/मुख्यसचिव/मा0 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ऐसे प्रकरणों पर शासन स्तर पर विचार हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती हैः- 1- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण - अध्यक्ष 2- प्रमुख सचिव, वित्त अथवा नामित प्रतिनिधि- सदस्य 3- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 - सदस्य 4- निदेशक द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य 5- छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल (मुख्यालय)- सदस्य/सचिव नियमावली में अंकित प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले छात्रों के प्रकरण पर उक्त समिति विचार करेगी एवं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में सकारण लिखित आदेश पारित करेगी। धनराशि भुगतान किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के उपरान्त मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के बजट से धनराशि व्यय की अनुमति प्रदान की जायेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 जनवरी,2013, शासनादेश दिनांक 14 फरवरी,2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 नवम्बर, 2013, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 सितम्बर,2014 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 अगस्त,2016 के अन्य नियम यथावत् लागू रहेगें। कृपया तदनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव ।

संख्या-20/2017/902(1)/64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013-तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/न्याय /उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण,उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियाँ समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित समस्त अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें ।
6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली,उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9. समस्त उपनिदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण,उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(राम सुमेर)
उप सचिव ।

-1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
-2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in